

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त राशि रुपये
15,000/- प्राप्त करने का आवेदन पत्र

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....

विषय : एकमुश्त राशि रुपये 15,000/- प्राप्त करने का आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं पेंशनधारी विशेष योग्यजन व्यक्ति/स्त्री हूँ। मैं अपना व्यवसाय करने हेतु अपनी विकलांग पेंशन बंद करवा कर एकमुश्त राशि रुपये 15,000/- प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मेरा विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	नाम
2.	पिता/पति का नाम
3.	आयु
4.	निवासी (पूर्ण पता)
5.	पी.पी.ओ. नम्बर (प्रति संलग्न करें)
6.	विकलांगता का प्रकार (विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें)प्रतिशत
7.	व्यवसाय जो करना चाहता है
8.	व्यवसाय का स्थान एवं पता
9.	व्यवसाय की अनुमानित लागत
10.	शिक्षा
11.	आवेदक का आधार नं.
12.	आवेदक का भामाशाह कार्ड नं.
13.	आवेदक का मोबाईल नं.
14.	आवेदक का बैंक विवरण :- बैंक का नाम : अकाउंट नं. : IFSC कोड :

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम/पता)

मैं पिता/पति

निवासी

घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने जो विवरण अंकित किया है, वह पूर्णतया सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित करें।

विकल्प पत्र (घोषणा)

मैं पिता/पति
निवासी घोषणा
करता/करती हूँ कि मेरा पीपीओ नम्बर है तथा
... .. से पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा बचत खाता संख्या
... .. बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार स्वयं का व्यवसाय करना
चाहता/चाहती हूँ। इसके लिए मैं रुपये 15000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) प्राप्त करना
चाहता/चाहती हूँ। यह राशि प्राप्त करने के पश्चात् मैं मेरी विशेष योग्यजन पेंशन की राशि प्राप्त करने का
भविष्य में कभी भी दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा मेरे आश्रित भी इस राशि पर अपना अधिकार नहीं
रखेंगे। मैं मेरा पीपीओ नम्बर (मूल) जमा करवाकर इसे अपनी सहमति से निरस्त
करवाना चाहता/चाहती हूँ।

उक्त घोषणा मैंने अपनी स्वेच्छा से होश हवास एवं बगैर किसी दबाव के की है।

संलग्न : मूल पीपीओ नम्बर।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

पूर्ण नाम एवं पता

पीपीओ नम्बर

प्रमाणित

नोटेरी पब्लिक